हर्ष विद्या मन्दिर (पी0जी0) कॉलेज, रायसी, हरिद्वार

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त (Aided) उपरोक्त महाविद्यालय में निम्न पदों पर आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:–

पद नाम	पद	आरक्षण
सहायक लेखाकार	01	अनारक्षित
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	01	अनारक्षित

वेतनमान–

सहायक लेखाकार–

वेतनमान– 5200–20200
ग्रेड वेतन– 2800

सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष–

वेतनमान– 5200–20200
ग्रेड वेतन– 2800

आयु सीमा: राज्य सरकार के नियमानुसार।

अर्हताएं:–

1. **सहायक लेखाकार** – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में लेखाशास्त्र विषय सहित स्नातक की उपाधि अथवा पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा एन एकाउन्टेंसी की अर्हता के साथ कम्प्यूटर संचालन में केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 'ओ' लेवल का प्रमाण पत्र तथा कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण में 4000 Key depression per hour की गति सीमा अनिवार्य है।

2. **सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष** – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि एवं बैचलर ऑफ लाईब्रेरी सांइस में डिग्री (B.Lib) के साथ केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर का एक वर्षीय डिप्लोमा/समकक्ष तथा किसी महाविद्यालय / संस्थान में पुस्तकालय लिपिक के रूप में 2 वर्ष कार्य करने का अनुभव।

सामान्य अनुदेश

आवेदक आवेदन पत्र का प्रारूप महाविद्यालय की वेबसाइट–www.hvmraisi.com से डाउनलोड कर समस्त शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों की 2–2 स्वप्रमाणित छाया प्रतियां, 2 रंगीन पासपोर्ट फोटो व स्वपता लिखा लिफाफा जिस पर रू0 41/– के डाक टिकट लगे हों सहित, महाविद्यालय में स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक द्वारा **दिनांक– 09 जनवरी, 2023** सायं 05:00 बजे तक प्राप्त आवेदन–पत्र ही स्वीकार किये जायेंगें। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आवेदन–पत्र भेजने का पता:

अध्यक्ष/सचिव,
हर्ष विद्या मन्दिर (पी0जी0) कॉलेज
रायसी, जनपद– हरिद्वार,
उत्तराखण्ड – 247671

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश :–

1. आवेदन–पत्र स्वीकार किए जाने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के पास अनिवार्य अर्हता धारित करना आवश्यक है। अन्तिम तिथि के बाद की अर्हता स्वीकार नहीं होगी।

2. आवेदन–पत्रों के डाक द्वारा विलम्ब होने अथवा गुम होने का दायित्व महाविद्यालय का नहीं होगा।

3. सभी मूल प्रमाण–पत्रों की छायाप्रतियां एवं छायाचित्र/फोटो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अथवा स्वप्रमाणित कर दो प्रतियों में आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे।

4. साक्षात्कार की सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट पर अथवा अलग से दी जायेगी।

5. केन्द्र, राज्य सरकार, अशासकीय महाविद्यालय अथवा किसी अन्य संस्था/विभाग के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने सेवा नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ अथवा साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

6. **लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में आवेदित पदनाम का उल्लेख अवश्य करना होगा, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।**

7. अपेक्षित सूचनाओं से रहित अपूर्ण आवेदन–पत्र तथा ऐसे आवेदन–पत्र जिस पर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर नहीं है, समय से प्राप्त होने के बावजूद निरस्त कर दिये जायेंगे।

8. अभ्यर्थी प्रत्येक पद के लिए पृथक्–पृथक् आवेदन कर सकता है।

9. सीधी भर्ती हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेशों के आधार पर अनुमन्य होगा। जिसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

10. ऐसे अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, या महिला जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी हो।

11. नियुक्ति के समय अभ्यर्थी को एक प्रमाण पत्र कि उसके विरूद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित/विचाराधीन नहीं है और न ही उसे पहले कभी ऐसे किसी मामले में दंडित किया गया हैं, प्रस्तुत करना होगा।

12. नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण करा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. महाविद्यालय को बिना कोई कारण बताए विज्ञापन/भर्ती प्रक्रिया को संशोधित/पुनर्निर्धारित/निलंबित/निरस्त करने का अधिकार हैं।

14. अभ्यर्थियों की पात्रता उनके आवेदनो की स्वीकृति या अस्वीकृति, उनके चयन/साक्षात्कार के तरीके से सम्बन्धित सभी निर्णय लेने का अन्तिम अधिकार हर्ष विद्या मन्दिर (पी0जी0) कॉलेज, रायसी की प्रबन्ध समिति को होगा जिसे स्वीकार करना सभी अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा।

15. साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

16. पूरी प्रक्रिया विश्वविद्यालय परिनियमावली/राज्य सरकार के प्रावधानों के अनुसार होगी।

नोटः– उपरोक्त अर्हता /नियमों / विनियमों में किसी प्रकार की अस्पष्टता, असमानता/वाद विवाद होने की स्थिति में उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नियम/विनियम/संशोधन ही मान्य होंगे । अभ्यर्थी राज्य सरकार के द्वारा जारी नियमों/विनियमों को मानने के लिए बाध्य होंगे ।

अध्यक्ष/सचिव–प्रबन्ध समिति
हर्ष विद्या मन्दिर (पी0जी0) कॉलेज, रायसी, हरिद्वार–247671